

संख्या- 8/1/ 2024-25-उ0 वर्स

465

भारत सरकार  
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  
आगरा मण्डल, 22 मॉल रोड  
आगरा-282001

12 NOV 2024  
दिनांक:.....

**:- नीलामी सूचना :-**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उद्यान की मशीन द्वारा कटी घास की नीलामी वर्ष 2024-25 एक वर्ष (12 माह) की अवधि तक के लिए की जायेगी। जिसका विवरण निम्न है।

क्र०सं 0	उद्यान का नाम	नीलामी का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय (मुहर बन्द लिफाफा के माध्यम से)	नीलामी का स्थान	धरोहर राशि	निर्धारित न्यूनतम आरक्षित धनराशि
1.	ताज कॉरीडोर, उद्यान आगरा	मशीन द्वारा कटी घास की नीलामी	21.11.2024 अपराह्न: 3.00 बजे दिन-गुरुवार	कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद, भा.पु.सर्वे. आगरा मण्डल, 22 मॉल रोड, आगरा	1600/-	64000/-
2.	तजमहल (ईनर) उद्यान	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	525/-	21000/-
3.	आगरा किला (ईनर)	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	500/-	20100/-
4.	माधौगढ़ उद्यान	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	1300/-	51000/-
5.	ईदगाह	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	700/-	29000/-
6.	एत्माददौला	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	1100/-	42000/-
7.	आर.सी.सी.	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	50/-	2000/-
8.	जोधा बाई की क्षतरी	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	40/-	1600/-


**नियम व शर्त :-**

- नीलामी की बोली विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरक्षित रकम (Minimum Reserve Price) से आरम्भ होगी।
- नीलामी बोलीदाता को नीलामी का मुहर बंद लिफाफा एवं धरोहर धनराशि जो ऊपर दर्शायी गयी है, के साथ इस नीलामी सूचना के साथ संलग्न प्रोफार्मा में भर कर, ऊपर दर्शाये गये नीलामी स्थान पर दिनांक 21.11.2024 को अपराह्न 03.00 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। बैंक डिमांड ड्राफ्ट आवेदक के नामित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत होना चाहिए जो कि अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मण्डल, आगरा के पक्ष में आगरा में देय होगा।
- नीलामी में सफल क्रेता को सभी करों का भुगतान करना होगा।
- प्रत्येक नीलामीदाता अग्रिम धनराशि जो ऊपर दर्शाई गई है, जमा करनी होगी जो सर्वोच्च बोलीदाता को छोड़कर शेष की नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वापस कर दी जायेगी। नीलामी, सर्वोच्च नीलामी धनराशि अंकित करने वाले नीलामीदाता को अधीक्षण पुरातत्वविद की स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी।
- सर्वोच्च नीलामी दाता को अपनी नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि का डी0डी0 के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया अनुमोदन के पश्चात् तीन दिन या विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर जमा करनी होगी। बैंक डिमांड ड्राफ्ट आवेदक के नामित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत होना चाहिए जो कि अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मण्डल, आगरा के पक्ष में आगरा में देय होगा। डी0डी0 जमा करने के पश्चात् उनकी धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। यदि सम्पूर्ण धनराशि जमा करने में असमर्थ रहे तो उनकी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में जो भी सरकार की क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
- यदि ठेकेदार नीलामी शर्तों की अवेहलना करता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी समय नीलामी को निरस्त कर सकता है।




7. अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत बिना किसी कारण बताये कर सकता है, अधीक्षण पुरातत्वविद् का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।
8. विभाग को यह अधिकार होगा कि उद्यान के रखरखाव हेतु एवं विभागीय कार्य हेतु किसी भी भाग में खुदाई अथवा घास की छिलाई कराई जा सकती है।
9. सर्वोच्च बोलीदाता की बोली स्वीकृत हो जाने पर नियमों के पालन हेतु विभाग द्वारा जारी नियम एवं शर्तें प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
10. नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को अग्रिम धनराशि जमा करने की अनुमति नहीं होगी।
11. मशीन द्वारा कटी हुई घास केवल निर्धारित प्लॉटों से ही की जायेगी।
12. ठेकेदार को मशीन द्वारा कटी हुई घास प्रतिदिन उद्यान से उठानी होगी ताकि उद्यान साफ सुथरा रह सके।
13. ठेकेदार को उद्यान के अन्दर किसी भी प्रकार का वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
14. उद्यान में घास की सिचाई व्यवस्था आवश्यकता अनुसार समय समय पर दी जायेगी।
15. ठेकेदार को उद्यान में निवास करने एवं पशु रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
16. ठेकेदार को उद्यान के कार्य समय में ही घास ले जा सकें तथा उद्यान में पशु आदि चराने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
17. ठेकेदार को ठेका किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित अथवा आवंटन करने का अधिकार नहीं है।
18. उद्यान के रखरखाव एवं सुन्दरता को ध्यान में रखते हुए लॉन की घास की कटाई की जायेगी।
19. नीलामी में भाग लेने वाले सभी नीलामीदाताओं से पहचान-पत्र, आधार कार्ड एवं पते के प्रमाण पत्र की छायाप्रति को संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा नीलामी प्रक्रिया निरस्त कर दी जायेगी।
20. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली नीलामी निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

  
अधीक्षण पुरातत्वविद्।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी प्रभाग, आगरा।
2. संरक्षण सहायक, उप मण्डल, ताज महल, आगरा किला, एत्माद-उद-दौला एवं अकबर टॉम्ब सिकंदरा को सूचनार्थ।
3. उद्यान प्रभारी, उद्यान, ताज महल, आगरा किला, एत्माद-उद-दौला एवं अकबर टॉम्ब सिकंदरा को सूचनार्थ।
4. नोटिस बोर्ड मण्डल कार्यालय, आगरा।
5. बेबसाइट, मण्डल कार्यालय, आगरा।

  
अधीक्षण पुरातत्वविद्।